कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 23.11.2024

विषय- तीन नफर शातिर चोर 1 अदद मोबाइल आईफोन, 1 अदद ब्रेसलेट सफेद धातु के साथ थाना चौक पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी महोदय के आदेश के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक चौक के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी की टीम मुखबिर सूचना पर दिनांक 21.11.2024 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 122/2024, धारा- 115(2), 303(2), 352, 308 बीएनएस एक्ट थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. आदर्श सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह निवासी भरवलिया पोस्ट सवदाहिया कला थाना पुरानी बस्ती जिला बस्ती उम्र करीब 20 वर्ष 2. वन्स रस्तोगी पुत्र अरुण रस्तोगी निवासी E- कुर्वान्चाल नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष 3. साहिल पुत्र इरफान निवासी 26 प्रताप नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष को चोरी के 1 अदद मोबाइल आईफोन, 1 अदद ब्रेसलेट सफेद धातु के साथ बन्धा रोड़ सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर कमिश्नरेट लखनऊ से दिनांक 23.11.2024 को समय 01.50 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः-

थाना स्थानीय क्षेत्र के आवेदक/पीड़ित के द्वारा एक तहरीर दिया गया कि किसी आयुसमान नामक लड़के का मैसेज मेरे मोबाइल पर आया तथा दोस्ती हो गई 19/11/24 को शाम 06 बजे मैसेज कर के मिलने के लिए बोला कि कल चलो घूमने चलोगे तो दिनांक 21.11.2024 को सुबह 06 बजे मैसेज किया तथा गाड़ी लेकर जालपा देवी मन्दिर के पास आया कि चलो घूमने चले आवेदक को गाड़ी में साथ लेकर जालपा देवी से बाबतपुर रोड पर लेकर गऐ जब वहाँ आया तो उसके साथ एक लोग और थे तथा जब मुझे लेकर लहुराबीर पहुँचे तो दो लोग गाड़ी में और बैठ गऐ और आवेदक को लेकर घूमाते रहे और गाड़ी में मारते रहे तथा बतमीजी किऐ और video बनाया तथा आवेदक का मोबाइल IPhone 14 Pro तथा चाँदी का ब्रेसलेट और अँगुठी चोरी कर लिया था तथा कहा कि 20,000 रु दोगे तो वापस करेगें उसके बाद आवेदक को भोजूवीर के पास उतार दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-122/2024 धारा 115(2), 303(2), 352, 308 बीएनएस एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 122/2024, धारा- 115(2), 303(2), 352, 308 BNS थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः- बन्धा रोड़ सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर कमिश्नरेट लखनऊ से दिनांक 23.11.2024 को समय 01.50 बजे

अभियुक्त का विवरण:-

1. आदर्श सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह निवासी भरवलिया पोस्ट सवदाहिया कला थाना पुरानी बस्ती जिला बस्ती उम्र करीब 20 वर्ष
2. वन्स रस्तोगी पुत्र अरुण रस्तोगी निवासी E- कुर्वान्चाल नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष
3. साहिल पुत्र इरफान निवासी 26 प्रताप नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

1. 1 अदद मोबाइल आइफोन,
2. 1 अदद ब्रेसलेट सफेद धातु,

पूछताछ विवरणः- पकड़े गये अभियुक्तगण से पूछताछ बताये कि हमलोग मोबाइल के जरिये एक लड़के से दोस्ती किये थे तथा बनारस घूमने के लिए आये । जहाँ पर एक लड़के को लेकर हमलोग गाड़ी में बन्द करके बनारस में घूमते रहे तथा बाद उसका आईफोन मोबाइल व एक ब्रेसलेट चाँदी का व एक अंगूठी ले लिये थे तथा उसके साथ मारपीट किये तथा बदतमीजी किये थे तथा उसका वीडियो भी बनाये थे ।

बरामद एवं गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विमल कुमार मिश्रा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह चौहान थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री मनीष सिंह थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 भोलू खरवार चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 दिलीप कुमार सिंह थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।